



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. - 350

KM - 30

Depth - 150

CPB - 220

सं. 487]

No. 487]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, नवम्बर 4, 2004/कार्तिक 13, 1926
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 2004/KARTIKA 13, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2004

आसी
पा. वि० ए०

सा.का.नि. 730(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजस्व आसूचना निदेशालय और कर अपवंचन निरोध निदेशालय (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, मंत्रालय, राजस्व विभाग में राजस्व आसूचना निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय में समूह 'ग' और 'घ' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्व आसूचना निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2004 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. आरंभिक गठन.—

(क) ज्येष्ठ कर सहायक : (i) इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय सहायक श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्त सभी व्यक्तियों को इन नियमों के अधीन ज्येष्ठ कर सहायकों के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा। इन नियमों के आरम्भ से पूर्व उनके द्वारा की गई सेवा अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता का विनिर्देश करते समय गणना में ली जाएगी।

(ii) वर्तमान कर्मचारियों को दो वर्ष के भीतर कम्प्यूटर उपयोजन और संगत प्रक्रियाओं में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित या उपयुक्त विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर वे और वेतन वृद्धि के पात्र नहीं होंगे।

(ख) कर सहायक : (i) ऐसे व्यक्तियों को, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने पर नियमित आधार पर नियुक्त हैं और जो उच्च श्रेणी लिपिक और डाटा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क' पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के अधीन कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और ऐसे व्यक्तियों द्वारा इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्बन्धित पदों पर की गई सेवा को प्रोन्नति आदि के प्रयोजन के लिए कर सहायक के पद पर की गई नियमित सेवा के रूप में हिसाब में लिया जाएगा।

- (iii) ऐसा व्यक्ति, जो नियमित-आधार पर निम्न श्रेणी लिपिक का पद धारण किए हुए है और इन नियमों के प्रारंभ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठता सूची के अन्तर्गत आता है, नियुक्ति प्राधिकार संचालित विभागीय कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से कर सहायक के पद पर प्रोन्नत किया गया समझा जाएगा।
- (iv) उच्च श्रेणी लिपिकों और डाटा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी 'क' को सामूहिक रूप से निम्न श्रेणी लिपिक से ज्येष्ठ रखा जाएगा और उनका पारस्परिक स्थान अपनी-अपनी श्रेणी में नियमित नियुक्ति की तारीख के अनुसार आपस में इस शर्त के अध्वधीन निश्चित किया जाएगा कि उनका अपनी-अपनी श्रेणी में पारस्परिक स्थान को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (v) निम्न श्रेणी लिपिकों को उच्च श्रेणी लिपिकों और डाटा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी-क से नीचे रखा जाएगा।

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, ~~अनु~~यु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

અનુસૂચી

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	समानमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. ज्येष्ठ कर सहायक	44* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित)	5000-150-8000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14

प्रोन्नति :

ऐसा कर सहायक, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और कम्प्यूटर उपयोग और सुसंगत प्रक्रियाओं में सक्षम प्राधिकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित या उपयुक्त विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पण :

यदि किसी कनिष्ठ व्यक्ति पर, उस श्रेणी में अपनी विहित अर्हक अवधि की सेवा पूरी करने के आधार पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो उस श्रेणी के उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों का भी, यह होते हुए भी कि उन्होंने उस श्रेणी में विहित अर्हक अवधि की सेवा नहीं की है, किन्तु परिवीक्षा की विहित अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा।

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में :

लागू नहीं होता

- (i) अपर महानिदेशक,
राजस्व आसूचना — अध्यक्ष
- (ii) अपर निदेशक/
संयुक्त निदेशक (प्रशासन),
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
आसूचना महानिदेशालय,
मुख्यालय — सदस्य
- (iii) अपर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
राजस्व आसूचना निदेशालय,
मुख्यालय — सदस्य
- (iv) अपर निदेशक/
संयुक्त निदेशक की श्रेणी
के समतुल्य आयकर विभाग
का एक अधिकारी — सदस्य

टिप्पण: जहां उपयुक्त सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तो वहां विभाग से बाहर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
2. कर सहायक	99* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	4000-100-6000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	20-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विभाग में कार्यरत सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (यदि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के जवाहर खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

8	9	10	11
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विद्या में स्नातक की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता;	लागू नहीं होता	दो वर्ष	90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
(ii) डाटा प्रविष्टि गति 8000 कुंजी अवनयन (की डेप्रेसन) प्रति घंटा होनी चाहिए।			

12	13	14
प्रोन्नति : ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक और मुख्य हवलदार से की जाएगी, जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर 7 वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों, अर्थात् :— (क) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता; और (ख) डाटा प्रविष्टि में 5000 कुंजी अवनयन प्रति घंटा की गति और हिंदी या अंग्रेजी में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण के ज्ञान के साथ विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में :— (i) अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना —अध्यक्ष (ii) अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, मुख्यालय —सदस्य (iii) अपर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुख्यालय —सदस्य (iv) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक की समतुल्य श्रेणी के आयकर विभाग का एक अधिकारी —सदस्य टिप्पण : जहां उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तो वहां विभाग से बाहर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. निम्न श्रेणी लिपिक	11* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित) अनुसूचिकीय	3050-75- 3950-80- 4590 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9	10	11			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा			

12	13	14
प्रोन्नति :	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में :	लागू नहीं होता
(i) 90 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे हवलादारों और अभिलेखपालों से ज्येष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा बिना किसी आयु सीमा के भरी जाएंगी, जिसके पास मैट्रिकुलेशन या कोई समतुल्य अर्हता हो और जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो;	(i) अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना —अध्यक्ष	
(ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे गेस्टेटरन आपरेटों और दफ्तरियों से, जिनके पास मैट्रिकुलेशन या कोई समतुल्य अर्हता हो और जिन्होंने अपनी श्रेणी में और उसके पोषक प्रवर्गों में 5 वर्ष सेवा की हो, अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति या हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से टंकण परीक्षा के आधार पर विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।	(ii) अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, मुख्यालय —सदस्य	
टिप्पण : (क) परीक्षा के लिए पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष) है।	(iii) अपर संयुक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुख्यालय —सदस्य	
(ख) खंड (ii) के अधीन किसी विशिष्ट वर्ष से संबंधित न भरी गई रिक्तियों को अग्रणी नहीं किया जाएगा;	(iv) अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक की श्रेणी के समतुल्य आयकर विभाग का एक अधिकारी —सदस्य	
(ग) यदि खंड (ii) के अधीन रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे कर्मचारी उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उतनी अधिक संख्या में कर्मचारियों के संबंध में पश्चात्पूर्ती वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा, जिससे पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के संबंध में पश्चात्पूर्ती की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके।		

टिप्पण—जहां उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तो वहां विभाग से बाहर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
4. उप कार्यालय अधीक्षक स्तर II	4* (अधीक्षक) *कार्यालय में नियुक्ति किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	5000-150-8000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9	10	11			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा			
12	13	14				
निम्नलिखित में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा :				लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
(i) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में कार्यरत ऐसे उप कार्यालय अधीक्षक स्तर II, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो;						
(ii) के उपलब्ध न होने की दशा में केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को जो 5000-150-8000 रु. के वेतनमान में सदृश्य पद धारण किए हुए हैं, प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकेगा।						

12

प्रतिनियुक्ति की अवधि : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी किन्तु उसे, यथास्थिति, राजस्व आसूचना महानिदेशालय या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय द्वारा 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

1	2	3	4	5	6	7
5. कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	3* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	5000-150-8000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	28 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।)
						टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10	11
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/हिंदी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में हो और दूसरा अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी/हिंदी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिंदी/अंग्रेजी अनिवार्य/

वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषयों के रूप में या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो, के साथ स्नातक डिग्री तथा हिन्दी से अंग्रेजी और विपर्ययन अनुवाद कार्य का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिसमें भारत सरकार के उपक्रम भी सम्मिलित हैं, हिन्दी से अंग्रेजी और विपर्ययन अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

12	13	14
केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा :—	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(क) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में अधिकथित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हों; तथा (i) जिन्होंने 4000-6000 रु. या समतुल्य वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; या (ii) जिन्होंने 3050-4590 रु. या समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी किन्तु उसे, यथास्थिति, राजस्व आसूचना महानिदेशालय या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय द्वारा 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।		

1	2	3	4	5	6	7
6. आशुलिपिक (श्रेणी II)	21 * (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5000-150-8000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

12	13	14
राजस्व आसूचना निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय के ऐसे आशुलिपिकों श्रेणी III से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में :— (i) अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना —अध्यक्ष (ii) अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, मुख्यालय —सदस्य (iii) अपर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुख्यालय —सदस्य (iv) अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक की श्रेणी के समतुल्य आयकर विभाग का एक अधिकारी —सदस्य टिप्पण: जहां उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं तो वहां विभाग से बाहर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
7. आशुलिपिक 23* (2004) (श्रेणी III)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	4000-100-6000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की गई है।	
8	9	10	11			
(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य, और (ii) अंग्रेजी या हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति और अंग्रेजी	लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : किसी पदधारी के प्रति-नियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य			

8	11
टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति।	परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भरी जाएंगी जो नियमित आधार सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 में विहित अर्हताएं हैं।

12	13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
8. अभिलेखफल	4* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित	2750-70- 3800-75- 4400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

12	13	14
ऐसे चपरासी, फराश, सफाई वाला और माली से ज्येष्ठता और योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने अपनी संबंधित श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में :— (i) अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना —अध्यक्ष (ii) अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, मुख्यालय —सदस्य (iii) अपर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुख्यालय —सदस्य (iv) अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक की श्रेणी के समतुल्य आयकर विभाग का एक अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

329962/04-2

1	2	3	4	5	6	7
10. ड्राइवर (श्रेणी-1)	36* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	4500- 125- 7000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

12	13	14
राजस्व आसूचना निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय के ऐसे ड्राइवर श्रेणी 2 से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने छह वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने नीचे विनिर्दिष्ट समुचित स्तर मान की व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण की हो: (i) जो अंग्रेजी की संख्याओं और अंकों को पढ़ने में समर्थ हों; (ii) जो यातायात विनियमों का पूरा ज्ञान रखता हो; (iii) जो पेट्रोल और डीजल इंजन के कार्यकरण का अच्छा ज्ञान रखता हो और त्रुटियों को दूर करने तथा छोटी-छोटी खराबियों को ठीक करने में समर्थ हों; (iv) जो कारबुरेटर प्लग आदि साफ करने में समर्थ हों। निम्नलिखित से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा : (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और निदेशालयों में कार्यरत ड्राइवर, श्रेणी 1 की श्रेणी के अधिकारी; या (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क और निदेशालयों में कार्यरत ड्राइवर श्रेणी 2 की श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो। (i) और (ii) के उपलब्ध न होने की दशा में केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को, जो 4500-125-7000 रु. के वेतनमान में सदृश पद धारण किए हुए हैं, प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकेगा। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी किन्तु, यथास्थिति, राजस्व आसूचना महानिदेशालय या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय द्वारा पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में :— (i) अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना —अध्यक्ष (ii) अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, मुख्यालय —सदस्य (iii) अपर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुख्यालय —सदस्य (iv) अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक की समतुल्य श्रेणी आयकर विभाग का एक अधिकारी —सदस्य टिप्पण: जहां उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तो वहां विभाग से बाहर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
11. ड्राइवर (श्रेणी 2)	33* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	4000- 100- 6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

12	13	14
राजस्व आसूचना निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय के ऐसे ड्राईवरों (साधारण श्रेणी) से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने 9 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने नीचे विनिर्दिष्ट समुचित स्तर मान की व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण की हो: (i) जो अंग्रेजी की संख्याओं और अंकों को पढ़ने में समर्थ हों; (ii) जो त्रुटियों को ढूँढ़ने और छेदी छेटी खराबियों को ठीक करने में समर्थ हों; (iii) जो यातायात विनियमों का पूरा ज्ञान रखते हों; (iv) जो पहिये बदलने और टायरों में सही हवा भरने में समर्थ हों। निम्नलिखित से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा: (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और निदेशालयों में कार्यरत ड्राईवर, श्रेणी II की श्रेणी के अधिकारी; या (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और निदेशालयों में कार्यरत ड्राईवर साधारण श्रेणी की श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने 9 वर्ष की नियमित सेवा की हो। (i) और (ii) के उपलब्ध न होने की दशा में केन्द्रीय सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को, जो 4000-100-6000 रु. के वेतनमान में सदृश पद धारण किए हुए हैं, प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी किन्तु, यथास्थिति, राजस्व आसूचना महानिदेशालय या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय द्वारा पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में :— (i) अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना —अध्यक्ष (ii) अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, मुख्यालय —सदस्य (iii) अपर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुख्यालय —सदस्य (iv) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक की समतुल्य श्रेणी का आयकर विभाग का एक अधिकारी —सदस्य टिप्पण: जहां उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तो वहां विभाग से बाहर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
12. ड्राईवर	33* (2004)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'	3050-75- 3950-80- 4590 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	23-30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की जा सकती है।)
(सामान्य श्रेणी)	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(अराजपत्रित) अननुसचिवीय				टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर

7

राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।)

8	9	10	11
आवश्यक : जिनके पास मोटरकारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो/मोटर यंत्रक्रिया का ज्ञान हो और जिसे कम से कम पांच वर्ष का मोटरकार चलाने का अनुभव हो। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12	13	14
आमेलन : राजस्व आसूचना निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय के ऐसे नियमित समूह "घ" कर्मचारियों में से स्टाफ कार का चलाने के लिए आवश्यक सक्षमता के स्तर के अनुरूप पद के लिए उपयुक्तता निर्णीत करने के लिए तैयार किए गए परीक्षण के परिणाम के आधार पर जो स्तम्भ 8 की अर्हताएं रखते हों या ऐसे व्यक्तियों के आमेलन द्वारा अन्य मंत्रालयों या विभागों में स्टाफ कार ड्राईवर का पद धारित किए हुए हैं, जो स्तम्भ 8 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हों या ऐसे व्यक्तियों के आमेलन द्वारा जो अन्य मंत्रालयों या विभागों में स्टाफ कार ड्राईवर का पद धारण किए हुए हैं। टिप्पण : अभ्यर्थियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय समय पर यथाविनिर्दिष्ट सीमाओं की पुष्टि करना अपेक्षित होगा।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में : (i) अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना —अध्यक्ष (ii) अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, मुख्यालय —सदस्य (iii) अपर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुख्यालय —सदस्य (iv) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक की समतुल्य श्रेणी का आयकर विभाग का एक अधिकारी —सदस्य टिप्पण: जहां उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तो वहां विभाग से बाहर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
13. प्रधान हवलदार	26* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'घ' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	3050-75- 3950-80- 4590 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9	10	11			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा			

12	13	14
राजस्व आसूचना निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निदेशालय में कार्यरत ऐसे हवलदारों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति में : (i) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्व आसूचना —अध्यक्ष (ii) एक सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना —सदस्य (iii) एक सहायक निदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना, निदेशालय —सदस्य (iv) आयकर अधिकारी —सदस्य टिप्पण: जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का कोई अधिकारी नहीं है वहां बाहर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
14. हवलदार	52* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'घ' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	2750-70- 3800-75- 4400 रु.	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8	9	10	11			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा			

12	13	14
राजस्व आसूचना निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय में कार्यरत ऐसे सिपाहियों से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :— (i) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, राजस्व आसूचना —अध्यक्ष (ii) एक सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना —सदस्य (iii) एक सहायक निदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना, निदेशालय —सदस्य (iv) आयकर अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

13

टिप्पण: जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का कोई अधिकारी नहीं है वहां बाहर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
15. सिपाही	87* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ब' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18—27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10	11
मडिल स्तर टिप्पण : अभ्यर्थियों का नीचे यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक मान होने और शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, अर्थात् पुरुष अभ्यर्थियों के लिए : शारीरिक मान (न्यूनतम) : ऊँचाई—157.5 सें.मी. (गढ़वाली, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में 5 सें.मी. शिथिल की जा सकती है।) सीना—81 सें.मी. (पूरा फुलाने पर कम से कम 5 सें.मी. अधिक फूला हो।) शारीरिक परीक्षण चलना : 15 मिनट में 1600 मीटर साइकिल चलाना—30 मिनट में 8 किलोमीटर महिला अभ्यर्थियों के लिए : शारीरिक मान (न्यूनतम) ऊँचाई—152 सें.मी. भार—48 किलोग्राम (गढ़वाल, असमी, गोरखा और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दशा में 2.5 सें.मी. ऊँचाई और 2 कि.ग्रा. भार शिथिल किया जा सकता है।) शारीरिक परीक्षण : चलना : 20 मिनट में 1 कि.मी. साइकिल चलाना—25 मिनट में 3 किलोमीटर।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 15 प्रतिशत आमेलेन द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

8

टिप्पण : प्रोन्नति द्वारा, यदि कोई हो, उक्त पद को भरे जाने के लिए भी उपर्युक्त शारीरिक मान/परीक्षण लागू किए जाएंगे।

12	13	14
आमेलन :	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—	लागू नहीं होता
राजस्व आसूचना निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय में फराश, सफाईवाला, मालियों के काडर और अन्य समूह 'घ' कर्मचारियों से (परन्तु यह तब जब ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों द्वारा धारित पदों का वेतनमान फराशों सफाई वाले या मालियों के वेतनमान के समान हो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अर्थात् :—	(i) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, (प्रशासन), राजस्व आसूचना —अध्यक्ष	
(i) उन्होंने कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो;	(ii) एक सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना —सदस्य	
(ii) उनके पास कम से कम प्रारम्भिक साक्षता होनी चाहिए और उन्हें या तो हिन्दी या अंग्रेजी या किसी प्रादेशिक भाषा पढ़ने की योग्यता परीक्षा देकर साबित करना होगा; और	(iii) एक सहायक निदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना, निदेशालय—सदस्य	
(iii) वे 45 वर्ष की आयु के हों और उनके पास शारीरिक मान तथा उन्हें स्तम्भ 8 में अधिकथित शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा।	(iv) आयकर अधिकारी —सदस्य	
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में कार्यरत ऐसे सिपाही से प्रतिनियुक्ति द्वारा जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।	टिप्पण: जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का कोई अधिकारी नहीं है वहां बाहर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	
टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी किन्तु, यथास्थिति, राजस्व आसूचना महानिदेशालय या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशालय द्वारा पांच वर्ष बढ़ाया जा सकेगा।		

1	2	3	4	5	6	7
16. दफ्तरी	6* (2004)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ'	2610-60-	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(अराजपत्रित) अननुसचिवीय	2910-65- 3300-70- 4000 रु.			

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

12	13	14
ऐसे चपरासी, फराश, सफाईवाला और माली से ज्येष्ठता और योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने अपनी श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—	लागू नहीं होता
	(i) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्व आसूचना —अध्यक्ष	
	(ii) एक सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना —सदस्य	
	(iii) एक सहायक निदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना, निदेशालय—सदस्य	
	(iv) आयकर अधिकारी —सदस्य	
	टिप्पण: जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का कोई अधिकारी नहीं है वहां बाहर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	

2741867/2022/Ad-IIIB Section

Annex Section

1	2	3	4	5	6	7
17. मेस्टेटर आपरेटर (ओ जी)	2* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ध' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

12	13	14
ऐसे चपरासी, फराश, सफाईकर्ता और माली में से ज्येष्ठता और योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने अपनी श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (i) अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्व आसूचना —अध्यक्ष (ii) एक सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना —सदस्य (iii) एक सहायक निदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय —सदस्य (iv) आयकर अधिकारी —सदस्य टिप्पण: जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का कोई अधिकारी नहीं है वहां बाहर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
18. चपरासी	5* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	2550-55- 2660-60- 3200 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अन्तर्गत सार सरकारी सेवकों के लिए स्थित करके 35 वर्ष तक का हो सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भाग में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जाने वाली भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक कार्यालयों से न भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10	11
मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

329961/04-3

12		13		14		
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5	6	7
19. सफाईवाला	9* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'घ' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	2550-55-2660-60-3200 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18—27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
8		9		10		11
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से पांचवी कक्षा या इसके समतुल्य		लागू नहीं होता		दो वर्ष		सीधी भर्ती द्वारा
12		13		14		
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5	6	7
20. फराश	8* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	2550-55-2660-60-3200 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18—27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

7

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10	11
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से पांचवी कक्षा या इसके समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
12	13	14	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

1	2	3	4	5	6	7
21. माली	2* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ब', (अराजपत्रित) अनुसूचित	2550-55- 2660-60- 3200 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18—27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10	11
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से पांचवी कक्षा या इसके समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
12	13	14	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

[फा. सं. ए-12018/23/2003/प्रा. III(ख)]

एस. के. ठाकुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2004

G.S.R. 730(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Revenue Intelligence and the Directorate of Anti-Evasion (Group C and D posts) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' and Group 'D' posts in the Directorate of Revenue Intelligence and the Directorate of Central Excise Intelligence in the Ministry of Finance, Department of Revenue, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Revenue Intelligence and the Directorate of Central Excise Intelligence, Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' Posts Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. **Initial Constitution.**—

(A) **Senior Tax Assistant :** (i) All the persons appointed on regular basis at the time of commencement of these rules to the Grade of Assistant shall be deemed to have been appointed as Senior Tax Assistants under these rules. The service rendered by them before commencement of these rules shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion to next higher grade.

(ii) The present employees would be required to pass the required or suitable departmental examination, as specified by the Competent Authority, from time to time, in Computer application and relevant procedures within two years failing which they would not be eligible for further increments.

(B) **Tax Assistant :** (i) The persons appointed on the regular basis and holding the post of Upper Division Clerks and Data Entry Operators Grade 'A' on the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed as Tax Assistants under these rules and the service rendered by such persons in the respective posts before commencement of these rules shall be taken into account as regular service rendered on the post of Tax Assistant for the purpose of promotion etc.

(ii) The person holding the post of Data Entry Operator Grade-A appointed under these rules as Tax Assistant shall, within two years from the date of such appointment as Tax Assistant, pass the Departmental Examination as conducted by the competent authority, failing which he shall not be entitled to get any further increment.

(iii) The person holding the post of Lower Division Clerk on regular basis and falls within the seniority list as determined by the appointing authority at the commencement of these rules shall, on passing the Departmental Computer Proficiency examination conducted by the appointing authority, be deemed to have been promoted with effect from date of passing such examination on the post of Tax Assistant.

(iv) The Upper Division Clerks and Data Entry Operator Grade-A shall be placed *en-block* senior to Lower Division Clerk and, their *inter se* placement shall be fixed in accordance with the date of regular appointment to the respective grade subject to the condition that their *inter se* placement in the respective grade shall not be disturbed.

(v) Lower Division Clerks shall be placed below Upper Division Clerks and Data Entry Operator Grade-A.

6. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Senior Tax Assistant	44*(2004) *Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Services Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial.	Rs. 5000-150-8000	Non-Selection
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972		Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	
6		7	8	
Not applicable		Not applicable	Not applicable	
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	
9		10	11	
Not applicable		Not applicable	Promotion.	
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made		If a Departmental Promotion Committee exists, what its composition?		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12		13		14
Promotion : Tax Assistant with 3 years of regular service in the grade and have passed the departmental examination as specified by Competent Authority from time to time in computer application and relevant procedures. Note : If a junior person is considered for promotion on the basis of his completing the prescribed qualifying period of service in that Grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered for promotion notwithstanding that they may not have		Group 'C' Departmental Promotion Committee : (i) Additional Director General of Revenue Intelligence —Chairman (ii) Additional Director/Joint Director (Administration), Directorate General of Central Excise intelligence, Headquarters —Member (iii) Additional/Joint Director (Administration), Directorate of Revenue Intelligence, Headquarters —Member		Not applicable

12	13
rendered the prescribed qualifying period of service in that grade but have completed successfully the prescribed period of probation.	(iv) One of the officer of Income Tax equivalent to the rank of Additional Director/ Joint Director —Member Note :—Where none of the above member belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.

1	2	3	4	5
2. Tax Assistant	99*(2004) *Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Services Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial.	Rs. 4000-100-6000	Not applicable

6	7	8
Not applicable	20-27 years (relaxable up to 35 years for Government Servant working in the Department in accordance with the instructions issued the Central Government from time to time). Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and (not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) Minimum educational qualification of Graduation in any discipline from any recognized University; (ii) Should possess a Data Entry Speed of 8000 Key depression per hour.

9	10	11
Not applicable	2 years	90% by direct Recruitment 10% by promotion.

12	13	14
Promotion : From amongst the Lower Division Clerks and Head Havaldars who have rendered 7 years of service in the Grade on regular basis and possess the following qualifications, namely :— (a) Matriculation or equivalent qualification from a recognized institution, and	Group 'C' Departmental Promotion Committee : (i) Additional Director General of Revenue Intelligence —Chairman (ii) Additional Director/Joint Director (Administration), Directorate General of Central Excise Intelligence, Headquarters —Member	Not applicable

12	13	14
(b) Data Entry Speed of 5000 key depression per hour and passed the departmental examination with knowledge of typing in Hindi or English at a speed of 25 wpm and 30 wpm respectively.	(iii) Additional/Joint Director (Administration), Directorate of Revenue Intelligence, Headquarters —Member (iv) One of the officer of Income Tax equivalent to the rank of Additional Director/Joint Director —Member Note :— Where none of the above member belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.	Not applicable

1	2	3	4	5
3. Lower Division Clerk	11*(2004) *Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Service Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non-Selection

6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11
Not applicable	Not applicable	Promotion

12	13	14
Promotion : (i) 90% of the vacancies shall be filled up by promotion from amongst Havalgars and Record Keeper on the basis of seniority-cum-fitness who possess Matriculation or an equivalent qualification and have rendered 5 years regular service in the grade, without any age limit. (ii) 10% of vacancies shall be filled up by promotion from amongst Gestetner Operators and Daftry who possess Matriculation or an equivalent qualification and have rendered 5 years of service in their respective grade and feeder cadres thereto on the basis of a Departmental qualifying examination with typing test with minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting. Note : (a) The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe);	Group 'C' Departmental Promotion Committee : (i) Additional Director General of Revenue Intelligence —Chairman (ii) Additional Director/Joint Director (Administration), Directorate General of Central Excise Intelligence, Headquarters —Member (iii) Additional/Joint Director (Administration), Directorate of Revenue Intelligence, Headquarters —Member (iv) One of the officer of Income Tax equivalent to the rank of Additional Director/Joint Director —Member Note :— Where none of the above member belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribe, shall also be associated as a member.	Not applicable

- (b) The unfilled vacancies pertaining to a particular year under clause (ii) shall not be carried over;
- (c) If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a latter examination.

1	2	3	4	5
4. Deputy Office Superintendent Level-II	4*(2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial.	Rs. 5000-150-8000	Not applicable
6	7	8		
Not applicable	Not applicable	Not applicable		
9	10	11		
Not applicable	Not applicable	Deputation.		
12	B		H	
Transfer on Deputation from :	Not applicable.		Not applicable	
Deputy Office Superintendent Level-II working in Customs and Central Excise Department with a minimum of 2 years service in the grade.				
In case of non-availability of (i) any Central Government Officer holding analogous posts in the pay scale of Rs. 5000-150-8000 can be taken on deputation.				
Period of Deputation : Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years but extendable up to 5 years by Directorate General of Revenue Intelligence or Directorate General of Central Excise Intelligence as the case may be.				
1	2	3	4	5
5. Junior Hindi Translator	3*(2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000	Not-applicable

6	7	8
Not applicable	28 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	(i) Master's degree of a recognized University in Hindi/English, with English/Hindi as a compulsory/elective subject or as medium of examination at degree level. OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi/English, with Hindi and English as compulsory/elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/elective subject at degree level. OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi/English, with Hindi/English medium and English/Hindi as a compulsory/elective subject or as medium, of examination at degree level. OR Bachelor's degree of a recognized University, with Hindi and English as compulsory/elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/elective subject, plus a recognized Diploma/Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice-versa or two year's experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/State Government Offices, including Government of India Undertakings.

9	10	11
Not applicable	Two years for direct recruits	By transfer on deputation failing which by direct recruitment

12	13	14
Transfer on deputation/transfer from amongst Central Government Officers : (a) Holding analogous posts on regular basis; or (b) possessing educational and other qualifications laid down in Column 8 for direct recruits with— (i) 3 years regular service in the pay scale of Rs. 4000—6000 or equivalent; or (ii) 5 years regular service in the pay scale of Rs. 3050—4590 or equivalent. Note : Period of deputation ordinarily not exceed 3 years but extendable to 5 years by Directorate General of Revenue Intelligence or Directorate General of Central Excise Intelligence as the case may be.	Not applicable	Not applicable

329902/04-4

1	2	3	4	5
6. Stenographer Grade-II	21*(2004) *Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Service Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-Selection

6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11
Not applicable	Not applicable	Promotion

12	13	14
Promotion from amongst Stenographers Grade-III in the Directorate of Revenue Intelligence and Directorate General of Central Excise Intelligence with 5 years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee : (i) Additional Director General of Revenue Intelligence—Chairman (ii) Additional Director/Joint Director (Administration), Directorate General of Central Excise Intelligence, Headquarters—Member (iii) Additional/Joint Director (Administration), Directorate of Revenue Intelligence, Headquarters—Member (iv) One of the officer of Income Tax equivalent to the rank of Additional Director/Joint Director—Member Note : Where none of the above member belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.	Not applicable

1	2	3	4	5
7. Stenographer Grade-III	23*(2004) *Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Service Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable

6	7	8
Not applicable	18—25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	(i) Matriculation or equivalent, and (ii) A speed of 80 words per minute in English or Hindi shorthand and 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting.

9	10	11		
Not applicable	2 years	Direct recruitment through Staff Selection Commission. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column 8.		
12	13	14		
Not applicable	Not applicable	Not applicable		
1	2	3	4	5
8. Record Keeper	4*(2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group "C" Non-Gazetted	Rs.2750-70-3800-75-4400	Non-Selection
6	7	8		
Not applicable	Not applicable	Not applicable		
9	10	11		
Not applicable	Not applicable	Promotion		
12	13	14		
Promotion from amongst Peon, Farash, Safaiwala and Mali having 5 years regular service in the respective grade on the basis of seniority cum fitness.	Group 'C' Departmental Promotion Committee : (i) Additional Director General of Revenue Intelligence —Chairman (ii) Additional Director/Joint Director (Administration), Directorate General of Central Excise Intelligence, Headquarters —Member (iii) Additional/Joint Director (Administration), Directorate of Revenue Intelligence, Headquarters —Member (iv) One of the officer of Income Tax equivalent to the rank of Additional Director/Joint Director —Member Note : Where none of the above member belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.	Not applicable		

1	2	3	4	5
Driver (Special Grade)	5*(2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group "C" (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-Selection.
6	7	8		
Not applicable	Not applicable	Not applicable		
9	10	11		
Not applicable	Not applicable	Promotion		
12	13	14		
Promotion from the Drivers Grade-I working in the Directorate of Revenue Intelligence and Directorate of Central Excise Intelligence with three years regular service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee : (i) Additional Director General of Revenue Intelligence —Chairman (ii) Additional Director/Joint Director (Administration), Directorate General of Central Excise Intelligence, Headquarters —Member (iii) Additional/Joint Director (Administration), Directorate of Revenue Intelligence, Headquarters—Member (iv) One of the officer of Income Tax equivalent to the rank of Additional Director/Joint Director —Member Note : Where none of the above member belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.			Not applicable
1	2	3	4	5
Driver Grade-I	36*(2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group "C" (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Not applicable
6	7	8		
Not applicable	Not applicable	Not applicable		
9	10	11		
Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation		

12	13	14
Promotion from the Drivers Grade-II in the Directorate of Revenue Intelligence and Directorate of Central Excise Intelligence with six years regular service who have passed a trade test of appropriate standard specified below :	Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable
(i) must be able to read English Numerals and Figures;	(i) Additional Director General of Revenue Intelligence —Chairman	
(ii) must have a thorough knowledge of Traffic Regulations;	(ii) Additional Director/Joint Director (Administration), Directorate General of Central Excise Intelligence, Headquarters —Member	
(iii) must have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects;	(iii) Additional/Joint Director (Administration), Directorate of Revenue Intelligence, Headquarters —Member	
(iv) must be able to clear carburetor plug, etc.	(iv) One of the officer of Income Tax equivalent to the rank of Additional Director/Joint Director —Member	
Transfer on deputation from :	Note : Where none of the above member belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.	
(i) Officers in the rank of Driver Grade I working in Central Excise, Customs and Directorates under Central Board of Excise and Customs; or		
(ii) Officers with 6 years regular service in the grade of Driver Grade-II working in Central Excise, Customs and Directorates under Central Board of Excise and Customs.		
In Case of non-availability of (i) and (ii), any Central Government Officer holding analogous posts in the pay scale of Rs. 4500-125-7000 can be taken on deputation.		
Note : Period of Deputation ordinarily not exceed 7 years but extendable to 5 years by Directorate General of Revenue Intelligence or Directorate General of Central Excise Intelligence as the case may be.		

1	2	3	4	5
11. Driver Grade-II	33*(2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group "C" (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable
6		7		8
Not applicable		Not applicable		Not applicable
9		10		11
Not applicable		Not applicable		By Promotion failing which by deputation

12	13	14
Promotion from the Drivers (Ordinary Grade) in the Directorate of Revenue Intelligence and Directorate General of Central Excise Intelligence with 9 years regular service who have passed a trade test of appropriate standard specified below : (i) must be able to read English Numerals and Figures; (ii) must be able to locate faults and carry out minor running repairs; (iii) must be have good knowledge of Traffic Regulations; (iv) must be able to change wheels and correctly inflate tyres. Transfer on deputation from : (i) Officers in the rank of Driver Grade II working in Central Excise, Customs and Directorates under Central Board of Excise and Customs; or (ii) Officers with 9 years regular service in the Grade of Driver Ordinary Grade working in Central Excise, Customs and Directorates under Central Board of Excise and Customs. In case of non-availability of (i) and (ii), any Central Government Officer holding analogous posts in the pay scale of Rs. 4000-100-6000 can be taken on deputation. Note : Period of Deputation ordinarily not exceed 3 years but extendable to 5 years by Directorate General of Revenue Intelligence or Directorate General of Central Excise Intelligence as the case may be.	Group 'C' Departmental Promotion Committee : (i) Additional Director General of Revenue Intelligence —Chairman (ii) Additional Director/Joint Director (Administration), Directorate General of Central Excise Intelligence, Headquarters —Member (iii) Additional/Joint Director (Administration), Directorate of Revenue Intelligence, Headquarters —Member (iv) One of the Officer of Income Tax equivalent to the rank of Additional Director/Joint Director —Member Note : Where none of the above member belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, an Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.	Not applicable

1	2	3	4	5
12. Driver (Ordinary Grade)	33*(2004) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group "C" (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable

6	7	8
Not applicable	23-30 years (Relaxable upto 35 years in the case of Government servants and upto 40 years for departmental candidates, in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date	Essential : Possession of a valid driving licence for motor cars. Knowledge of motor mechanics and experience in driving a motor car for at least five years. Desirable : Passed VIII standard from recognized Board or Institution.

7

for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

9	10	11
Not applicable	2 years for direct recruits	By absorption failing which by direct recruitment

12	13	14
Absorption : On the results of the test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in driving of staff cars from amongst regular Group "D" employees in the Directorate of Revenue Intelligence and Directorate of Central Excise Intelligence possessing qualifications in column 8 or absorption of persons holding the post of Staff Car Driver in other Ministries or Department who possess the qualifications specified in Column 8 or absorption of persons holding the post of Staff Car Driver in other Ministries or Departments. Note : The Candidates will be required to confirm to such limits as may be specified by the Central Board of Excise and Customs from time to time.	Group 'C' Departmental Promotion Committee : (i) Additional Director General of Revenue Intelligence — Chairman (ii) Additional Director/Joint Director (Administration), Directorate General of Central Excise Intelligence, Headquarters — Member (iii) Additional/Joint Director (Administration), Directorate of Revenue Intelligence, Headquarters — Member (iv) One of the officer of Income Tax equivalent to the rank of Additional Director/Joint Director — Member Note : Where none of the above member belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, an Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.	Not applicable

1	2	3	4	5
13. Head Havaldar	26*(2004) *Subject to variation dependent on workload	Central Civil Service Group "D" (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non-Selection.

6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11
Not applicable	Not applicable	Promotion

12	13	14
Promotion from Havaldars working in Directorate of Revenue Intelligence and Directorate of Central Excise Intelligence with at least 3 years regular service in the grade.	Group 'D' Departmental Promotion Committee : (i) Additional Director/Joint Director (Administration) of Revenue Intelligence — Chairman (ii) One Assistant Director of Revenue Intelligence — Member (iii) One Assistant Director of Directorate of Central Excise Intelligence — Member (iv) Income-Tax Officer —Member Note : Where none of the Officer belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, an Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable

1	2	3	4	5
14. Havaldar	52*(2004) *Subject to variation dependent on workload	Central Civil Service Group "D" (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 2750-70-3800-75-4400	Non-Selection.
6	7	8		
Not applicable	Not applicable	Not applicable		
9	10	11		
Not applicable	Not applicable	Promotion		

12	13	14
Promotion from Sepoys working in Directorate of Revenue Intelligence and Directorate of Central Excise Intelligence with at least 3 years regular service in the grade.	Group 'D' Departmental Promotion Committee : (i) Additional Director/Joint Director (Administration) of Revenue Intelligence — Chairman (ii) One Assistant Director of Revenue Intelligence — Member (iii) One Assistant Director of Directorate of Central Excise Intelligence — Member (iv) Income-Tax Officer —Member Note : Where none of the Officer belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, an Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable

2741867/2022/Ad-III B Section

1	2	3	4	5	6
15 Sepoy	87* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Services, Group-D (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs. 2610-60-2910-65-3300 70-4000.	Not applicable	Not applicable
7	8				9
18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked.	Middle Standard Note: Candidates will be required to possess the Physical Standards and pass physical test as specified below namely :— For Male Candidates Physical Standard : Minimum : Height—157.5 cms. (relexable by 5 cms. In the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of the Schedule Tribes) Chest—81 cms. (fully expanded with minimum expansion of 5cms.) Physical Test : Walking—1600 metres in 15 minutes Cycling—8 kms. in 30 minutes For Female Candidates Physical Standard : Minimum : Height—152 cms. Weight 48 kgs (Height relexable by 2.5 cms. and weight by 2 kgs. For Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of the Schedule Tribes) Physical Test : Walking—1 km. in 20 minutes Cycling—3 kms. in 25 minutes. Note : The above physical standard/tests shall also be applicable for filling up the post by promotion, if any.				Not applicable
10	11	12			
2 years	85% by direct recruitment 15% by absorption failing which by deputation	Absorption : From the cadre of Farash, Safaiwala, Malis and other Group 'D' employees, (provided the pay scale of the posts held by such Group 'D' employees is the same as that of Farashes, Safaiwalas or Malis) in the Directorate of Revenue Intelligence and Directorate or Central Excise Intelligence subject to the following conditions, namely:— (i) they shall have put in at least five years regular service. (ii) they should possess at least elementary literacy and give proof through a test of ability to read either Hindi or English or a regional language; and (iii) they are below Forty Five years of age and possess such physical standards and pass such physical tests as laid in column 8. Deputation from amongst Sepoys working in Central Excise and Customs Department with 3 years regular service. Note: —Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years but extendable upto 5 years by the Directorate General of Revenue Intelligence or Directorate General of Central Excise Intelligence as the case may be.			

829961/2004-5

13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee :— (i) Additional Director/Joint Director (Administration) of Revenue Intelligence—Chairman (ii) One Assistant Director of Revenue Intelligence—Member (iii) One Assistant Director of Directorate of Central Excise Intelligence—Member (iv) Income-Tax Officer—Member Note:— Where none of the officer belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable

1	2	3	4	5	6
16. Daftry	6* (2004) *Subject to change depending on workload.	General Central Service, Group-D (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs.2610-60-2910-65-3300-70-4000.	Non-selection	Not applicable
7		8			9
Not applicable		Not applicable			Not applicable
10	11		12		
Not applicable	Promotion		Promotion from amongst Peon, Farash, Safaiwala and Mali having 5 years regular service in the respective grade on the basis of seniority cum fitness.		

13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee :— (i) Additional Director/Joint Director (Administration) of Revenue Intelligence—Chairman (ii) One Assistant Director of Revenue Intelligence—Member (iii) One Assistant Director of Directorate of Central Excise Intelligence—Member (iv) Income-Tax Officer—Member Note:— Where none of the officer belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable

1	2	3	4	5	6
17. Gestetner Operator (OG)	2* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-D (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs.2610-60-2910-65-3300-70-4000.	Non-selection	Not applicable

7	8	9			
Not applicable	Not applicable	Not applicable			
10	11	12			
Not applicable	Promotion	Promotion from amongst Peon, Farash, Safaiwala and Mali having 5 years regular service in the respective grade on the basis of seniority cum fitness.			
13	14				
Group 'D' Departmental Promotion Committee :— (i) Additional Director/Joint Director (Administration) of Revenue Intelligence—Chairman (ii) One Assistant Director of Revenue Intelligence—Member (iii) One Assistant Director of Directorate of Central Excise Intelligence—Member (iv) Income-Tax Officer—Member Note —Where none of the officer belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee.		Not applicable			
1	2	3	4	5	6
18. Peon	5* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-D (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs.2550-55-2660-60-3200.	Not applicable	Not applicable
7	8		9		
18-27 years	Middle Standard Pass		Not applicable		
(Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government).					
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and, Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.					
10	11		12		
2 Years	Direct recruitment		Not applicable		
13	14				
Not applicable	Not applicable				

24461/04-6

36

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

1	2	3	4	5	6
19. Safaiwala	9* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Service, Group-D (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Rs.2550-55-2660-60-3200.	Not applicable	Not applicable
7				8	9
18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).			5th Standard or equivalent from recognized school.		Not applicable
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.					
10				11	12
2 Years	Direct recruitment				Not applicable
13				14	
Not applicable				Not applicable	
1	2	3	4	5	6
20. Farash	8* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-D (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs.2550-55-2660-60-3200.	Not applicable	Not applicable
7				8	9
18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).			Vth Standard or equivalent from recognized school.		Not applicable
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.					

भाग II—खण्ड 3(i)]			भारत का राजपत्र : असाधारण			37
10		11		12		
2 Years		Direct recruitment		Not applicable		
13				14		
Not applicable				Not applicable		
1	2	3	4	5	6	
21. Mali	2* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'D' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 2550-55- 2660-60- 3200.	Not applicable	Not applicable	
7			8		9	
18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).			Vth Standard or equivalent from recognized school.		Not applicable	
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and, Lakshadweep). In the case recruitment is made made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.						
10		11		12		
2 Years		Direct recruitment		Not applicable		
13				14		
Not applicable				Not applicable		

[F. No. A-12018/23/2003-Ad. III(B)]

S. K. THAKUR, Under Secy.